सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 849 राँची, मंगलवार, 22 अक्टूबर, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

4 अक्टूबर, 2019

विषय:- किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु "धान अधिप्राप्ति योजना" के स्वरूप की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या – खा० प्र०-02-अधि०-03/2019 - 2986 राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गयी है। विगत् वर्षो की कठिनाईयों को देखते हुए अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए इस योजना का स्वरूप निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

2. धान अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा चयनित/अनुबंधित प्राईवेट प्लेयर एवं भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम द्वारा चयनित/अनुबंधित एजेन्सियाँ अधिप्राप्ति एजेंसी होंगे। धान अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची नोडल अभिकरण होगा।

3. अधिप्राप्ति का कार्य कम्प्युटरीकृत प्रणाली (ई-उपार्जन) के तहत् कराया जायेगा। किसानों के निबंधन हेतु विभाग से निबंधन आवेदन पत्र का प्रारूप जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा। निबंधन के समय किसानों से विभाग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र प्राप्त किया जायेगा। निबंधित सभी किसानों को SMS/दूरभाष के माध्यम से इस आशय से अवगत कराया जायेगा कि संबंधित अधिप्राप्ति केन्द्रों से संपर्क कर धान बिक्री की तिथि से संबंधित टोकन प्राप्त कर लिया जाय जिस पर टोकन संख्या अंकित रहेगी। जिन किसानों द्वारा टोकन नहीं प्राप्त किया जाता है उन्हें Sequential (क्रमबद्ध) आधार पर धान बिक्री की तिथि हेतु पुनः SMS भेजा जायेगा।

4. खरीफ विपणन मौसम 2019-20 से खरीफ विपणन मौसम 2020-21 तक धान अधिप्राप्ति हेतु कलस्टर एवं एजेन्सीवार निम्नप्रकार धान अधिप्राप्ति किया जाना हैः-

कलस्टर	**राजस्व जिला**	**अधिप्राप्ति हेतु प्राधिकृत एजेन्सी**
कलस्टर-1	गढ़वा, चतरा एवं पलामू।	भारतीय खाद्य निगम, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स/भारतीय खाद्य निगम, राँची।
कलस्टर-2	गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची सिमडेगा, लातेहार।	भारतीय खाद्य निगम, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड।
कलस्टर-3	सरायकेला- खरसावाँ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम।	भारतीय खाद्य निगम, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड।
कलस्टर-4	गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा एवं धनबाद।	भारतीय खाद्य निगम, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड।
कलस्टर-5	देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामताड़ा।	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स /झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची।

5. प्राईवेट प्लेयर्स का चयन भारतीय खाद्य निगम, राँची एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। कलस्टर-1 में प्राईवेट प्लेयर्स का चयन नहीं हो पाने की स्थिति में धान अधिप्राप्ति का कार्य भारतीय खाद्य निगम, राँची तथा कलस्टर-2,3,4 एवं 5 में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्वयं किया जायेगा। स्वयं अधिप्राप्ति

करने की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कलस्टर-1 में कुल 30 अधिप्राप्ति केन्द्र संचालित किये जायेगें। पलामू, गढ़वा एवं चतरा जिलों में जिलावार अधिप्राप्ति केन्द्रों की संख्या का निर्धारण भारतीय खाद्य निगम, राँची की सहमति से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा।

6. अधिप्राप्ति एजेन्सियों के बीच कार्य क्षेत्र का बँटवारा भविष्य में आवश्यकतानुसार विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा।

7. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्सिडेंटल चार्जेज एवं कॉस्ट शीट मान्य होगा एवं इसे संबंधित एजेन्सियों/प्राईवेट प्लेयर्स एवं जिला को प्रेषित की जायेगी।

8. भारतीय खाद्य निगम/प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन आवश्यकतानुसार किया जायेगा। केन्द्र चयन के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन भी भारतीय खाद्य निगम/प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा किया जायेगा।

9. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/भारतीय खाद्य निगम/प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा धान खरीद सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन धान मिलिंग हेतु झारखण्ड सी॰एम॰आर॰ नियंत्रण आदेश-2016 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

10. भारतीय खाद्य निगम/प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराने की जिम्मेवारी उक्त एजेन्सियों (भारतीय खाद्य निगम/प्राईवेट प्लेयर्स) की होगी। अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराने के लिए मिलों के चयन/सम्बद्धता हेतु उक्त एजेन्सियाँ स्वतंत्र होगी। उक्त एजेन्सियाँ आवश्यकतानुसार मिलों के चयन/सम्बद्धता के कार्य में स्थानीय जिला प्रशासन की मदद ले सकती है।

11. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची एवं सभी अधिप्राप्ति एजेन्सियों/प्राईवेट प्लेयर्स को विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12. सभी अधिप्राप्ति एजेंसियों/प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा अपने-अपने क्रय क्षेत्र में किसानों द्वारा बिक्री किये गये धान का मूल्य का भुगतान NEFT/RTGs/PFMS के माध्यम से किसानों के बैंक खाता में किया जायेगा।

13. भारतीय खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स, तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य (धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान, परिवहन/हथालन, मिलिंग इत्यादि) अपने साख के आधार पर किया जायेगा। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं पडेगा।

14. बोरा की व्यवस्था भारत सरकार के मानक के अनुसार अधिप्राप्ति एजेंसियों/प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा किया जाएगा।

15. अधिप्राप्ति केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र, विश्लेषण कीट, डिजिटल वेईंग मशीन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था अधिप्राप्ति एजेन्सियों/प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा किया जायेगा।

16. अधिप्राप्ति केन्द्रों पर किसानों को मजदूरों की सुविधा भुगतान के आधार पर अधिप्राप्ति एजेन्सियों/प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

17. झारखण्ड सी॰एम॰आर॰ नियंत्रण आदेश-2016 के प्रावधानों के तहत राईस मिलों द्वारा प्रत्येक माह अपनी मिलिंग क्षमता का 30 प्रतिशत अधिप्राप्त किये गये धान की मिलिंग करने के पश्चात् ही अपने व्यापारिक कार्यों को किया जायेगा।

18. राज्य में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, भारतीय खाद्य निगम एवं प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान का मिलिंग कर जिन मिलों द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2019-20 के 30 अप्रैल तक सी॰एम॰आर॰ जमा कर दिया जायेगा उन राईस मिलों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग शुल्क के समतुल्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा इन्सेन्टिव दिया जायेगा। राशि का व्यय ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान शीर्ष'' में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

19. कलस्टर-1 को छोड़कर जिन कलस्टरों में निविदा के माध्यम से प्राईवेट प्लेयर्स का चयन नहीं हो पायेगा एवं चयनित प्राईवेट प्लेयर्स जिन कलस्टरों में अधिप्राप्ति कार्य में सफल नहीं होंगे उन कलस्टरों में अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने की स्थिति में निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

i. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु चयनित पैक्स (Primary Agriculture Credit Co-operative Societies)/लैम्पस (Large Area Multi Purpose Co-operative Societies)/कृषक सेवा सहकारी समिति/व्यापार मंडल/ग्रेन गोला, अधिप्राप्ति केन्द्र होंगे। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

ii. धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा। केन्द्रों के चयन में पूर्व में की गयी अधिप्राप्ति, अन्य उपलब्धियाँ व क्रियाशीलता एवं उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में आवश्यकतानुसार अधिप्राप्ति केन्द्र खोले जायेंगे।

iii. अधिप्राप्ति में संलग्न एजेंसी एवं कर्मियों को भारतीय खाद्य निगम एवं गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

iv. किसानों से क्रय किये गये धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पास उपलब्ध रिवाल्विंग फण्ड से किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। इस हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान नहीं किया जाना है।

v. धान के परिवहन का कार्य जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार राईस मिलरों/ अधिप्राप्ति केन्द्रों/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची के उस वर्ष के लिए खाद्यान्न परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन दर या विभाग द्वारा यदि कोई दर संसूचित किया जाय उस पर किया जाना है। परिवहन में भारत सरकार द्वारा देय राशि से अधिक परिवहन व्यय होने की स्थिति में अंतर राशि की प्रतिपूर्ति किया जायेगा। उक्त का व्यय ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान'' शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

vi. राईस मिलरों/अधिप्राप्ति केन्द्रों/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड द्वारा नियमित रूप से केन्द्रों से धान का उठाव कर जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा निर्देशित राईस मिल/चयनित गोदाम में पहुँचाया जायेगा। जिला द्वारा धान के भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार बाजार समिति के गोदाम या निजी गोदाम बाजार समिति के दर पर व्यवस्था की जायेगी।

vii. CMR का परिवहन राईस मिलों द्वारा ही किया जायेगा।

viii. अधिप्राप्ति केन्द्रों/राईस मिलरों को कमीशन, परिवहन शुल्क, हथालन आदि आकस्मिक व्यय एवं राईस मिलरों को मिलिंग आदि भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्रों /राईस मिलरों से विपत्र प्राप्त कर जाँचोपरान्त राशि के भुगतान हेतु प्रस्ताव झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा जिस आधार पर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्रों तथा मिलरों को भुगतान किया जायेगा। धान एवं CMR के परिवहन शुल्क का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा खाद्यान्न हेतु निर्धारित परिवहन दर पर या विभाग द्वारा यदि कोई दर संसूचित किया जाता हो उस पर ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान'' मद से किया जाना है। विगत वर्ष के लंबित परिवहन शुल्क, हथालन, मिलिंग चार्ज आदि का भी ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान'' मद से किया जायेगा। भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा यथाशीघ्र भारतीय खाद्य निगम से कर ली जायेगी।

ix. अधिप्राप्ति केन्द्रों पर जैप॰ आई॰ टी॰ से सूचीबद्ध एजेन्सी/निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सी द्वारा बाह्य स्रोत पर अस्थायी कम्प्यूटर ऑपरेटर रखा जायेगा। अधिप्राप्ति केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र, विश्लेषण कीट, डिजिटल वेईंग मशीन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने, धान अधिप्राप्ति हेतु रखे जाने वाले अस्थायी कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

इस हेतु राशि का व्यय झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को पूर्व/वर्तमान में उपलब्ध कराये गये ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान'' शीर्ष में उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जायेगा।

x. अधिप्राप्ति केन्द्रों पर उपायुक्त द्वारा जन सेवक प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। अधिप्राप्ति केन्द्रों पर अधिप्राप्त किये गये धान का लेखा एवं अन्य सभी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त जन सेवक की होगी। अधिप्राप्ति केन्द्रों की जांच प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

जिन किसानों द्वारा धान बिक्री किया गया हो उनकी सूची भुगतान हेतु अधिप्राप्ति केन्द्रों के सचिव/अध्यक्ष, प्रतिनियुक्त जनसेवक एवं प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त जिला प्रबंधक झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराया जायेगा जिसके आधार पर जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

xi. प्रत्येक केन्द्र पर धान के उठाव के दौरान मिलर के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी ताकि धान की मात्रा/वजन एवं गुणवत्ता का सत्यापन हो सके अन्यथा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ कर्मचारी द्वारा सत्यापित गुणवत्ता एवं वजन राईस मिलरों को मान्य होगा।

xii. जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ई-उपार्जन में पंजीकृत किसानों, पंजीकृत किसानों द्वारा बेचे गये धान की मात्रा, अधिप्राप्ति केन्द्रों, राईस मिलरों एवं जमा होनेवाली ब्डत् का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जायेगा।

xiii. इंफोर्समेंट सर्टिफिकेट जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा मिल में तैयार सी॰एम॰आर॰ के आधार पर ससमय निर्गत किया जाएगा। इस कार्य में विलम्ब के लिए जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी। चावल मिल का निबंधन एवं अधिप्राप्ति केन्द्रों के साथ सम्बद्धता का कार्य जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा किया जायेगा।

इसके लिए जिला में स्थित मिल विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिलों के जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कार्यालय में जमा करेंगे। भौतिक सत्यापन के पश्चात् जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड इस योजनान्तर्गत् निबंधन करते हुए विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा निबंधित मिल के साथ विहित प्रपत्र में अनुबंध/एकरारनामा किया जाएगा। अनुबंध/ एकरारनामा हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची से अनुबंध/एकरारनामा प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा।

xiv. अधिप्राप्ति केन्द्रों को निकटतम राईस मिलों के साथ टैग किया जायेगा। जिला में पर्याप्त मात्रा में मिलिंग क्षमता की कमी की स्थिति में झारखण्ड राज्य से बाहर के राईस मिलों से मिलिंग कराया जा सकता है। झारखण्ड राज्य से बाहर स्थित राईस मिलों के साथ भी अधिप्राप्ति केन्द्रों की टैगिंग निकटतम दूरी के आधार पर की जायेगी।

xv. विपत्र की तैयारी हेतु वांछित कागजात का संग्रहण जिला प्रबंधक, झारखण्ड झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तत्परतापूर्वक विपत्र तैयार कर भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित करेंगे तथा भुगतान के लिए लगातार सम्पर्क स्थापित करेंगे। भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किये जाने वाले चावल से संबंधित खर्च का ब्योरा, लेखा एवं सी॰एम॰आर॰ की मात्रा की सारी जिम्मेवारी जिला प्रबंधक झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की होगी।

xvi. अंकेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नियमानुसार किया जायेगा। केन्द्रवार ससमय लेखा संधारण एवं अंकेक्षण का कार्य इस प्रकार कराया जाएगा कि अगले खरीफ विपणन मौसम में अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व गत वर्ष के योजना का लेखा तैयार हो जाए।

xvii. अनुश्रवण हेतु राज्य जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर धान अधिप्राप्ति योजना अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है।

<u>राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति</u>

विभागीय मंत्री	- अध्यक्ष।
विकास आयुक्त	- सदस्य।
प्रधान सचिव/सचिव	- सदस्य।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	
प्रधान सचिव/सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य।
निबंधक, सहयोग समितियाँ	- सदस्य।
प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0	- सदस्य।

यह समिति सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

<u>जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति</u>

उपायुक्त	- अध्यक्ष
अपर समाहर्ता	- सदस्य
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	- सदस्य
जिला सहकारिता पदाधिकारी	- सदस्य
जिला कृषि पदाधिकारी	- सदस्य
जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	- सदस्य
जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0	-सदस्य सचिव
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	- सदस्य
क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	- सदस्य

यह समिति सम्पूर्ण योजना का जिला स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति

प्रखंड विकास पदाधिकारी	- अध्यक्ष
प्रखंड आपूर्ति/पणन पदाधिकारी	- सदस्य
प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	- सदस्य
प्रखंड कृषि पदाधिकारी	- सदस्य
राजस्व कर्मचारी	- सदस्य
अध्यक्ष/संचालक एवं सहायक प्रबंधक सभी धान अधिप्राप्ति केन्द्र	- सदस्य

यह समिति सम्पूर्ण योजना का प्रखण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

20. अधिप्राप्ति योजना के अनुश्रवण हेतु सभी स्टेक होल्डर्स/प्राईवेट प्लेयर्स के साथ अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रतिदिन एवं उपायुक्त द्वारा सप्ताहिक बैठक आयोजित की जायेगी। राज्य स्तर पर सतत् अनुश्रवण हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा एक मोनेटरिंग सेल (अनुश्रवण कोषांग) का गठन किया जाता है।

21. अधिप्राप्ति योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने हेतु इलेक्ट्रोनिक/प्रिन्ट मिडिया, बुकलेट आदि के माध्यम से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड के अनुमोदित दर पर प्रचार-प्रसार किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त का व्यय "धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान" शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाना है।

22. धान अधिप्राप्ति से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प निरस्त किया जाता है।

23. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25.09.2019 की बैठक की मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/-

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 849 -- 100